

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 07-09-2026

क्रमांक GENCOR/24976/2026/38-2 :: राज्य शासन, एतद्वारा स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में ATKT प्राप्त विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित के दृष्टिगत अकादमिक सत्र 2026-27 के पंचम (5th) सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश प्रदान करने की अनुमति देता है।
शर्त:- ऐसे विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के ATKT की परीक्षाएं नियमित विद्यार्थियों के साथ अकादमिक सत्र 2026-27 के लिए नियमित निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
"LEENA RAKESH"
Date: 07-09-2026
14:10:01

(लीना राकेश)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. GENCOR/24976/2026/38-2 नया रायपुर, दिनांक 07-09-2026

प्रतिलिपि:-

1. विशेष महायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, (छ.ग.)।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा मंचालनालय, रायपुर, (छ.ग.)।
3. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, (छ.ग.)
4. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, सेक्टर-24, ब्लॉक 7B, ग्राउंड फ्लोर नया रायपुर अटल नगर रायपुर, (छत्तीसगढ़)
5. सम्मन्त क्षेत्रीय अपर मंचालक, छत्तीसगढ़
6. कुलपति कुलसचिव सम्मन्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ को आर मंचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. आदेश फाल्डर।

पंचम सेमेस्टर
के प्रवेश संयोजक
रूपया इस पत्रानुसार
प्रवेश करें।
1/9/26